

**कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
बालोद वनमण्डल, बालोद (छ.ग.)**

कार्यालय-दूरभाष 07749-223904

E mail : dfobalod@yahoo.com

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/
व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

1.	परियोजना का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग-930 झलमला- बालोद-कुसुमकसा-मानपुर मार्ग निर्माण हेतु		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. संभाग क्र.01 रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	26.471 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	बालोद	बालोद	राष्ट्रीय राजमार्ग-930 झलमला-बालोद-कुसुमकसा -मानपुर
क्र.	आरक्षित वन	वनखंड	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल
	— " —	दैहान	RF-99	6.509 हे0
	— " —	दैहान	RF-98	2.365 हे0
	— " —	दैहान	RF-97	4.716 हे0
	— " —	दैहान	RF-92	2.653 हे0
	— " —	डौण्डी	RF-148	1.146 हे0
	— " —	— " —	RF-170	4.789 हे0
	— " —	— " —	RF-163	1.266 हे0
	— " —	— " —	RF-164	0.448 हे0
ख.	संरक्षित वन	बोरिद	RF-257	1.529 हे0
ग.	आरेंज एरिया	निरंक	-	-
घ.	राजस्व वन क्षेत्र	-	खसरा नं. 307	1.050 हे0
		कुल योग :-		26.471 हेक्ट0
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	0.5 से 0.6 साईड क्वालिटी IV a, IV b		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	6626 नंग वृक्ष संख्या		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	पर्याप्त		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यूडी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	निरंक		

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोरफेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11.	उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उस मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।	नहीं।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।	निरंक

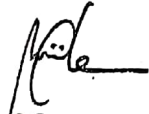
प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण में मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।
आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- बालोद/दल्लीराजहरा/कोहका

दिनांक :-

4.10.2018



(बी. श्रीनिवास राव)
कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. संभाग क्र. 01
रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)



(एम.पी. पैकरा)
वन संरक्षक
प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
बालोद वन मण्डल
जिला-बालोद (छत्तीसगढ़)